ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 76
TO BE ANSWERED ON THE 30TH JULY, 2024

SEPARATE REGULATORY BODY FOR VETERINARY MEDICINES

76 DR. AJEET MADHAVRAO GOPCHADE:

Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state:

whether the Central Government has taken any action in consultation with State Governments to set up a separate regulatory body for veterinary medicines, given the various advantages of having a distinct Drug Regulator for veterinary medicines?

ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(SHRI JAGAT PRAKASH NADDA)

A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 76 * FOR 30TH JULY, 2024

Drugs including veterinary drugs are regulated under the provisions of Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules made thereunder. License for manufacture, sale and distribution of drugs is granted by the respective State Licensing Authorities appointed by the respective State Government, while the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) is responsible for regulation of import of veterinary Drugs and approval of New Drugs.

CDSCO has no such proposal to set up a separate regulatory body for Veterinary medicines.

******

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 76

30 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पशु चिकित्सा संबंधी औषधियों के लिए पृथक विनियामक निकाय

***76. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या केन्द्र सरकार ने पशु चिकित्सा औषधियों के लिए पृथक औषधि विनियामक होने के विभिन्न लाभों को देखते हुए पशु चिकित्सा औषधियों के लिए एक पृथक विनियामक निकाय स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से कोई कार्रवाई की है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

30 जुलाई, 2024 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 76 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पशु-चिकित्सा संबंधी औषधियों सहित अन्य औषधियों का विनियमन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के तहत किया जाता है। औषधियों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस, संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) पशु-चिकित्सा संबंधी औषधियों के आयात के विनियमन और नई औषधियों के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है।

सीडीएससीओ का पशु-चिकित्सा संबंधी दवाओं के लिए अलग से विनियामक निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

श्री सभापति: सप्लीमेंटरी No. 1, डा. अजीत माधवराव गोपछड़े।

डा. अजीत माधवराव गोपछड़े: सर, हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और आपके नेतृत्व में पशुधन का आरोग्य सुखकारी होने के लिए वेटरनरी मेडिसिन के माध्यम से, जो कार्य हो रहा है, वह सराहनीय है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वेटरनरी मेडिसिन में रिसर्च एवं क्लीनिकल ट्रायल प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए क्या केंद्र सरकार कदम उठा रही है?

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, in so far as the research in veterinary medicines, drugs and vaccines are concerned, we have many scientific bodies and research institutes under the other Ministries of the Central Government. I would like to name a few bodies. The Indian Council of Agricultural Research has IVRI. There is also The National Institute of High Security Animal Diseases under ICAR; The National Research Centre on Equines under ICAR; The National Institute of Foot and Mouth Disease under ICAR and various other research institutes. These scientific bodies and institutes are functional under the other Ministries and they work towards the necessary research which is needed in the field of veterinary drugs and vaccines. Sir, insofar as clinical trials are concerned, that is being looked after by the Central Drugs Standards Control Organization which falls under the Ministry of Health and Family Welfare.

श्री सभापति: सेकंड सप्लीमेंटरी, डा. अजीत माधवराव गोपछड़े।

डा. अजीत माधवराव गोपछड़े: सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सीडीएससीओ पशु आहार में एडल्टरेशन पर शक्ति से पेश आने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को क्या कोई निर्देश देने पर विचार कर रही है?

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, as and when required, we pass on the necessary instructions to the State Government bodies.

श्री सभापति: थर्ड सप्लीमेंटरी, सुश्री स्वाति मालिवाल।

MS. SWATI MALIWAL: Thank you, Sir, for giving me an opportunity to say on this very important issue. सर, हम आए दिन देखते हैं कि कहीं पर भी, कोई जानवर, कोई पक्षी घायल अवस्था में पड़ा हुआ होता है। कभी कोई गाय पड़ी हुई होती है, कभी कोई कुत्ता पड़ा हुआ

होता है, कभी कोई बिल्ली पड़ी हुई होती है। सर, कभी-कभी तो उनमें कीड़े भी लगे हुए होते हैं। उन पर काफी लोगों को दया आती है, वे मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि मदद कैसे करें, क्योंकि जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, वे बहुत दूर-दूर हैं।

MR. CHAIRMAN: Your supplementary!

सुश्री स्वाति मालिवाल: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या आपके यहां ऐसे किसी प्रपोजल पर, किसी गाइडलाइन पर, किसी वेलफेयर स्कीम पर कोई काम चल रहा है कि सारी फारमेसीज़ में over the counter फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां मिलें, जैसे की animals and birds की first aid kits, rescue kits हों, क्या ये अवेलेबल करवाई जा सकती हैं? क्या कोई ऐसा काम चल रहा है?

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

सुश्री स्वाति मालिवाल: अगर नहीं चल रहा है, तो मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि प्लीज़, वे इस इश्यू पर काम करें। उन्हें लाखों करोड़ बेजुबानों की बहुत-बहुत दुआ लगेगी।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, the question today is on the subject of a separate regulatory body for veterinary medicine. The issue that the hon. Member has raised pertains to the State Governments and the Municipal Corporations. Insofar as her query regarding a proposal under discussion at the level of the Central Government is concerned, there is no such proposal under discussion.

MR. CHAIRMAN: She also wants to know whether you would consider one.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, the answer would get a little longer.The role of the CDSCO is basically to regulate permissions for the new drugs and vaccines for both import and manufacture. This is not something that CDSCO looks into.

MR. CHAIRMAN: Supplementary no. 4, Shri Brij Lal.

श्री बृज लाल: सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, पशुओं में कभी-कभी बहुत महामारी आती है, जैसे बर्ड फ्लू है और अभी काउज में महामारी आई थी, जिसमें उनकी स्किन में फफोले पड़ते थे और वे मर जाती थीं। मैं माननीय मंत्री

जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की महामारी, जो पशुओं में आती है, उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्रीमती अनुप्रिया पटेलः सभापति महोदय, जहाँ तक पशुओं की बीमारियों या महामारियों का सवाल है, इसके लिए जिस किस्म के ड्रग्स या वैक्सिन्स की अनुमति का विषय होता है, उसको सीडीएससीओ देखता है। जहाँ तक इन ड्रग्स या वैक्सिन्स की सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी, सेल डिस्ट्रिब्यूशन या अवेलेबिलिटी का सवाल है, उसके लिए हमारे स्टेट की बॉडीज़ होती हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं, वे उसको देखते हैं। अगर कोई नई प्रकार की बीमारी आती है, जिसमें किसी नए प्रकार के ड्रग या वैक्सीन की आवश्यकता है, इसकी परमिशन के लिए सीडीएससीओ का ड्यू प्रॉसेस होता है और हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसकी सेल, उसका मैन्युफैक्चर, उसका डिस्ट्रिब्यूशन या उसकी अवेलेबिलिटी एन्श्योर करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Mausam Noor; fifth supplementary.

SHRIMATI MAUSAM NOOR: Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister whether the Government has plans to set up a scheme on the lines of PM *Jana Aushadhi Kendras* for increasing the access and availability of veterinary medicines. If yes, kindly share the details thereof and if no, the reasons therefor.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, this matter does not pertain to my Department.

MR. CHAIRMAN: Question No. 77.